पटना उच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार में

2016 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 1242

थाना काण्ड सं.- 39 वर्ष- 2014 थाना- मेहंदिया जिला- जहानाबाद से उद्भूत

==========

1. महेश पंडित, पिता- शिवपूजन पंडित

2. शिवपूजन पंडित, पुत्र स्वर्गीय जगदेव पंडित,

दोनों निवासी- ग्राम- मसुदा सकारी, थाना- मेहंदिया, जिला- अरवल

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदातगण

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील - गवाहों की गवाही में विसंगतियां - मृत्युकालीन कथन की स्वीकार्यता - मृत्यु पूर्व कथन विश्वसनीय, स्वैच्छिक और सुसंगत होना चाहिए। यदि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, तो यह दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार नहीं बन सकता - न्यायालयों को मृत्युकालीन कथन की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, खासकर जब प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (जैसे, पीड़ित की मानसिक स्थिति का प्रमाणन) अनुपस्थित हों - आपराधिक मामलों में सबूत का बोझ - अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए - महत्वपूर्ण विसंगतियों या प्रक्रियात्मक खामियों के मामलों में, संदेह का लाभ अभियुक्त को जाना चाहिए। निर्णय सुनाया गया, अपीलकर्ताओं को संदेह का

लाभ देते हुए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया - इसने माना कि अभियोजन पक्ष निम्नलिखित कारणों से उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा:

- प्रक्रियात्मक खामियां, जिनमें देरी से एफआईआर दर्ज करना और खराब जांच शामिल है।

- मृत्युपूर्व दिए गए अविश्वसनीय बयान और विरोधाभासी गवाहों के बयान।

- स्वतंत्र पुष्टि का अभाव और मुख्य गवाहों को पेश करने में विफलता।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

उपस्तिथि:

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री रमा कांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

श्री नवीन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

श्री नारायण सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री बिनोद बिहारी सिंह, एपीपी

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक: 24-06-2024

हमने दोनों अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमा कांत शर्मा को सुना, दोनों अपीलार्थी आपस में पिता और पुत्र हैं और मृतिका/ललिता देवी के पति और ससुर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अरवल जिले के अरवल अस्पताल और उसके बाद पीएमसीएच, पटना में चार दिनों तक इलाज के बाद जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री बिनोद बिहारी सिंह ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

2. दोनों अपीलकर्ताओं को विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा दिनांक 04.11.2016 को पारित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और दिनांक 05.11.2016 के आदेश द्वारा, उन्हें आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए दो साल के लिए सश्रम कारावास, 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन महीने के लिए सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास, 10,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

4. मृतिका की मृत्यु जलने के कारण हुई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-2) से साबित होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतिका के पेट के दाहिने हिस्से, दाहिने नितंब, दाहिनी ऊपरी जांघ, दोनों पैरों और तलवों के पश्च-पार्श्वीय हिस्सों को छोड़कर, पूरे शरीर पर मृत्यु-पूर्व डर्मोएपिडर्मल जलने के घाव थे। घाव संक्रमित थे लेकिन आंशिक रूप से ठीक हो गए थे। घावों के विच्छेदन पर, सामान्य रूप से, सभी आंतरिक अंग अवरुद्ध पाए गए। डॉक्टर के अनुसार, मौत का कारण जलना और उसकी जटिलताएँ थीं।

5. पोस्टमार्टम डॉ. अरुण कुमार सिंह (पीडब्लू-7) द्वारा किया गया था, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान में कहा है कि जब वे 19.05.2014 को पीएमसीएच, पटना के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने ललिता देवी (मृतिका) के शव का पोस्टमार्टम दोपहर 3:30 बजे किया था।

6. हालांकि जिरह में उन्होंने कहा कि जलने के घाव 100 प्रतिशत नहीं थे और उन्हें केरोसिन तेल की कोई गंध नहीं मिली थी, लेकिन उन टिप्पणियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। वह यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि जलने की चोटें दुर्घटनावश थीं या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था।

7. हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की राय का हवाला दिया है, क्योंकि अपीलकर्ताओं की ओर से दलील का मुख्य जोर इस बात पर है कि मृतिका की मौत दुर्घटनावश हुई थी और वह पूरी तरह जल गई थी। बचाव पक्ष द्वारा दावा किए गए अनुसार, 100% तक जलने की चोटों के साथ, वह अपीलकर्ताओं और शिव बचन देवी (अभी भी फरार) को शामिल करते हुए विस्तृत बयान देने की स्थिति में नहीं थी और जिस बयान पर विचारण न्यायालय ने मृतिका के मृत्युकालिक कथन के रूप में भरोसा किया है।

8. हमारे लिए मृतिका के *फर्दबयान/* मृत्युकालिक कथन का संदर्भ लेना समीचीन होगा, जिसे मृतिका के भाई बेंकटेश कुमार पंडित (पीडब्लू-1) और डॉ. कुमार पुरुषोत्तम सिंह निराला (पीडब्लू-4) की उपस्थिति में एस.आई. इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) द्वारा अरवल जिले के सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 15.05.2014 को अपराह्न 2:15 बजे दर्ज किया गया था।

9. उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि जब मृतिका खाना पकाने के बाद कमरे की सफाई करने गई तो उसका पति/अपीलकर्ता सं. 1 आया और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करने लगा। इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता सं. 2, उसके ससुर और उसकी सास शिव बचन देवी आए और सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसे अपने पिता से 2 लाख रुपये लाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उसे

आग के हवाले कर दिया। इस घटना से पहले भी मृतिका ने बताया था कि उसके पिता से पैसे लाने के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी। घटना वाले दिन भी उसके साथ मारपीट की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि मांग पूरी नहीं हुई थी।

10. मृतिका के उपरोक्त बयान के आधार पर, मेहदिया थाना कांड संख्या 39/2014 दिनांक 15.05.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 323, 324, 326, 307, 498-ए, 504 और 34 के तहत अपराधों की जांच के लिए शुरू में पंजीकृत किया गया था। मृतिका को तुरंत उच्च उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां 19.05.2014 को 10 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

11. चूंकि उपरोक्त बयान उसके भाई बेंकटेश कुमार पंडित (पीडब्लू 1) और डॉ. कुमार पुरुषोत्तम सिंह निराला (पीडब्लू-4) की उपस्थिति में दिया गया था, इसलिए हम पहले उनके बयानों का उल्लेख करेंगे।

12. पी.डब्लू.-1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा है कि उसकी बहन (मृतिका) की शादी लगभग 18 वर्ष पूर्व अपीलकर्ता सं. 1 के साथ हुई थी। 19.05.2014 को पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 15.05.2014 को जब पीडब्लू-1 अपने घर पर था, तो उसे अपने चाचा जय राम पंडित (जिसकी जांच नहीं की गई) से फोन पर सूचना मिली कि उसकी बहन को उसके पति और ससुराल वालों ने जला दिया है। यह सुनकर वह मोटरसाइकिल से सीधा मेहदिया थाने पहुंचा और पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसकी बहन को जला दिया गया है। पुलिस कर्मी उसे लेकर मृतिका के ससुराल मसुदा गांव पहुंचे। वहां उसने देखा कि उसकी बहन पूरी तरह जल चुकी है और दर्द से तड़प रही है। मेहदिया थाने के प्रभारी शंभू कुमार (जांच नहीं हुई) और इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने उसकी बहन को सदर अस्पताल, अरवल पहुंचाया जहां डॉ. कुमार पुरुषोत्तम सिंह निराला (पीडब्लू-4) ने उसका इलाज किया।

13. चूंकि उसकी बहन बात करने की स्थिति में थी, इसलिए डॉक्टर यानी पीडब्लू-4 ने पुलिस को उसका बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी। इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) ने उसकी मौजूदगी में बयान दर्ज किया। उस समय तक उसके माता-पिता यानी बिंदेश्वर पंडित और जानकी देवी उर्फ सुगिया देवी (पीडब्लू-2 और 3) भी आ चुके थे। दर्ज बयान पर पीड़िता/मृतिका के अंगूठे का निशान लिया गया। जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, तब उसने उसे और उसके माता-पिता को यह भी बताया कि उसके पति और सास-ससुर ने उसे घर से 2 लाख रुपये न लाने पर आग लगा दी थी।

14. उन्होंने आगे कहा कि उनकी बहन को उच्च और विशेष उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया था। मृतिका को एम्बुलेंस से पीएमसीएच ले जाया गया, जहाँ वह 15.05.2014 से 19.05.2014 तक उपचाराधीन रही। 19.05.2014 को सुबह 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया (प्रदर्श-2)।

15. इस घटना से दो दिन पहले अपीलकर्ता सं. 1 उसके घर आया था और आवास ऋण के रूप में 2 लाख रुपये की मांग की थी और यह भी धमकी दी थी कि यदि यह राशि नहीं दी गई, तो उसकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी उसकी बहन हमेशा अपीलकर्ताओं और उसकी सास के दुर्व्यवहार और क्रूर व्यवहार के बारे में शिकायत करती रही थी। इस संबंध में करीब 6-7 साल पहले मेहदिया थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। करीब चार साल पहले भी परिवार को महिला हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जब उनकी बहन ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ ऐसी ही शिकायत की थी। उनकी बहन (मृतिका) के चार बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा नौ साल का और सबसे छोटा तीन साल का था।

16. जिरह में उसने फिर दोहराया कि टेलीफोन पर अपनी बहन के बारे में सूचना मिलने पर वह सीधे मेहदिया पुलिस थाने गया और पुलिसकर्मियों को साथ लेकर अपनी बहन के ससुराल गया। उसने पाया कि उसकी बहन पूरी तरह जल चुकी थी। मेहदिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने उनकी बहन को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए वाहन लाने हेतु स्टाफ उपलब्ध कराकर उनकी

सहायता की। पुलिस ने उसकी बहन को अरवल अस्पताल ले जाने से पहले उसका बयान दर्ज नहीं किया। उसने फिर से न्यायालय के सामने कहा कि उसकी बहन को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन वह होश में थी। मसुदा गांव (मृतिका का ससुराल) से सबसे नजदीकी अस्पताल मेहदिया था, लेकिन उसकी बहन को अरवल ले जाया गया।

17. अरवल अस्पताल में डॉ. कुमार पुरुषात्तम सिंह निराला ने उसकी बहन की गर्दन से लेकर पैर तक पट्टी की और यह भी बताया कि उसकी बहन 100 प्रतिशत जल गई है। उन्होंने ही उसकी बहन को पीएमसीएच रेफर किया था। उसे एंबुलेंस से पीएमसीएच लाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।

18. घटना से कुछ समय पहले मृतिका और उसका पति जालंधर में रहते थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जब मृतिका और अपीलकर्ता संख्या 1 जालंधर में थे, तब उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 1 के नाम पर जमीन खरीदने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 से 2,00,000/- रुपये का ऋण लिया था और यह मामला केवल उस राशि को हड़पने के लिए दर्ज किया गया था, क्योंकि कोई जमीन नहीं खरीदी गई थी।

19. डॉ. कुमार पुरुषत्तम सिंह निराला (पीडब्लू 4) का दावा है कि वे 15.05.2014 को सदर अस्पताल, अरवल में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। उस दिन दोपहर करीब 02:15 बजे मेहदिया थाने के पुलिस अधिकारी सब-इंस्पेक्टर/इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) के साथ पीड़िता/मृतिका को लेकर आए और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। उनका बयान पीडब्लू-6 द्वारा उसकी मौजूदगी में दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बयान पर हस्ताक्षर भी किए थे। पीड़िता इस तरह का बयान देने की स्थिति में थी। इसके बाद उनके बाएं अंगूठे का निशान लिया गया। उस दिन, 15 डॉक्टर ड्यूटी पर थे। विचारण न्यायालय में गवाही देने से पहले उन्होंने पुलिस के सामने कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि घायल को इलाज के लिए लाने वाले व्यक्ति का नाम बताने की कोई प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी। अरवल अस्पताल में उनके साथ डॉ. चंद्र शेखर आज़ाद भी इमरजेंसी

ड्यूटी पर थे। चूँकि वे सर्जन थे, इसलिए पीड़िता को उनकी निगरानी में रखा गया। पीड़िता करीब एक घंटे तक अस्पताल में रही। उसे 100 प्रतिशत जलने की चोट नहीं आई थीं। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि प्रवेश रजिस्टर में जलने की चोटों की सीमा बताने की प्रथा है, जो प्रवेश रजिस्टर उनके सामने नहीं था और इसलिए, वे पीड़िता की जलने की चोटों की सीमा के बारे में बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने केवल पीड़िता को पीएमसीएच रेफर किया था। इस तरह के रेफरल का उल्लेख प्रवेश रजिस्टर में नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने पीडब्लू-1 के साथ मिलीभगत करके अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उस दिन यानी 15.05.2014 को वे अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं थे।

20. मामले के प्रथम जांच अधिकारी इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) ने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा है कि शंभू कुमार/मेहदिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (जिसकी जांच नहीं की गई) को उसके मोबाइल फोन पर सूचना मिली थी कि फोन करने वाले की बहन, संभवतः पीडब्लू-1, को उसके वैवाहिक घर में जला दिया गया है। ऐसी सूचना पर वह शंभू कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मसूदा गांव रवाना हो गये और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ललिता देवी को घायल अवस्था में देखा। उसे इलाज के लिए पिकअप वैन पर सदर अस्पताल, अरवल लाया गया। इसके बाद उन्होंने वही कहा जो डॉ. कुमार पुरुषत्तम सिंह निराला (पीडब्लू-4) ने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा था, अर्थात बयान दर्ज करना; बयान दर्ज करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई अनुमति और मरीज को उच्च उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर करना। वह शाम को पुनः पुलिस थाने गए और दिनांक 21.05.2014 को अपीलकर्ता सं. 1 को गिरफ्तार किया, जिसे दिनांक 22.05.2014 को हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें जांच का जिम्मा शंभू कुमार को सौंपना पड़ा क्योंकि उन्हें एससी/एसटी थाने में दूसरी जिम्मेदारी दी गई थी।

21. जिरह में उन्होंने माना है कि मेहदिया थाने में जो सूचना मिली थी, उसे दर्ज ही नहीं किया गया। थाने की डायरी में सिर्फ पीड़िता को जलाने की सूचना दर्ज की गई। इस बयान को एफआईआर

में दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता का फर्दबयान 16.05.2014 को न्यायालय में भेजा गया। उन्होंने पीड़िता का बयान उसके ससुराल में दर्ज नहीं किया था, जबकि वह गंभीर रूप से जलने के बावजूद होश में थी।

22. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी कहा है कि मृतक के बड़े बेटे सोनू कुमार का बयान एसडीपीओ द्वारा पुलिस डायरी में दर्ज किया गया था।

23. चूंकि इस तरह के बयान का विवरण पीडब्लू-6 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं बताया गया था, इसलिए हमने अपनी जानकारी के लिए सोनू कुमार के बयान को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि अपनी मां को आग में जलता देख वह मोटरसाइकिल पर अपने पिता के पास गया और उसके पिता भागते हुए घर वापस आए। आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पिता (अपीलकर्ता सं. 1) भी घायल हो गए।

24. यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभियोजन पक्ष की ओर से सोनू कुमार को गवाही के लिए नहीं लाया गया और न ही उसे रोका गया। बचाव पक्ष ने दबाव में आकर उसे डी.डब्लू. 1 के रूप में परीक्षित कराया। पी.डब्लू.-6 ने सोनू कुमार का बयान दर्ज नहीं किया था क्योंकि वह पीड़िता/मृतिका के उपचार में व्यस्त हो गया था। उन्होंने केवल ग्रामीणों कांति देवी, बिजेन्द्र सिंह और राम बचन पंडित का बयान दर्ज किया था, जिनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई और सभी ने उन्हें बताया कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि अपीलकर्ताओं और मृतिका की सास द्वारा पीड़िता/मृतिका को आग लगाई गई थी।

25. निरंतरता के लिए, हम दूसरे जांच अधिकारी सुधीर कुमार (पीडब्लू-5) के बयान का भी संदर्भ लेंगे, जिन्होंने अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया था और अपीलकर्ता संख्या 2 और मृतिका की सास को मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने 28.06.2014 को मेहदिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शंभू कुमार से जांच का कार्यभार ग्रहण किया था। जांच का कार्यभार संभालने तक तैयार

किए गए पुलिस दस्तावेजों को देखने पर उन्हें पता चला कि अपीलकर्ता सं. 2 और शिव बचन देवी (मृतक की सास) के खिलाफ कोई सामग्री सामने नहीं आई थी और वे निर्दोष पाए गए थे। उन्हें पुलिस अधीक्षक, अरवल की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें यह राय थी कि केवल अपीलकर्ता संख्या 1 ही दोषी है, जबकि अपीलकर्ता सं. 2 और उसकी पत्नी/शिवबचन देवी निर्दोष हैं।

26. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार तथा पुलिस कागजातों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, उन्होंने अपीलकर्ता सं. 1 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए तथा 306 के अंतर्गत दिनांक 30.06.2014 को आरोप पत्र संख्या 44/2014 प्रस्तुत किया तथा अपीलकर्ता सं. 2 तथा उसकी पत्नी को सुनवाई के लिए नहीं भेजा।

27. इससे पहले कि हम अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क के मुख्य आधार पर खुद को संबोधित करें कि मृतिका इतनी व्यापक रूप से जलने की चोटों के साथ कोई बयान नहीं दे सकती थी, हम बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिन्हें अभियोजन पक्ष की किसी भी आपत्ति के बिना स्वीकार किया गया था। प्रदर्शित जानकारी, अर्थात, साक्ष्य-ए/1, बी और सी बचाव पक्ष द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई थी।

28. प्रदर्श-बी, सदर अस्पताल, अरवल का भर्ती रजिस्टर है, जिसमें दर्शाया गया है कि ललिता देवी (35 वर्ष), पत्नी महेश पंडित को गंभीर रूप से जलने के कारण भर्ती कराया गया था, जिन्हें 15.05.2014 को अपराह्न 2:00 बजे आवश्यक उपचार हेतु पीएमसीएच रेफर किया गया था।

29. प्रदर्श-सी, अवरल अस्पताल के उपचार रजिस्टर की प्रति है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पीड़िता को थर्मल बर्न का सामना करना पड़ा था और उसका प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल, अरवल में हुआ था। पूरे शरीर पर व्यापक जलन 100 प्रतिशत तक थी।

30. ऊपर उल्लिखित गवाहों के बयान और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को समग्र रूप से पढ़ने पर कुछ बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं और कुछ गवाहों के बयान संदिग्ध प्रतीत होने लगते हैं।

31. पीड़िता/मृतिका को 100 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं, जिसका प्रमाण प्रवेश रजिस्टर और उपचार पर्ची से मिलता है। फिर भी, अवर निरीक्षक इंद्रजीत कुमार (पीडब्लू-6) ने विचारण न्यायालय के सामने बार-बार कहा है कि चोटें 100 प्रतिशत तक नहीं थीं और मरीज होश में थी और बयान देने में सक्षम थी। इसी तरह का प्रमाण डॉ. कुमार पुरुषत्तम सिंह निराला (पीडब्लू-4) ने भी दिया है। दोनों ने पीड़िता के *फर्दबयान* पर हस्ताक्षर किए हैं।

32. इसके अलावा, हमने यह भी पाया है कि पीडब्लू-1 द्वारा पहले मृतिका के वैवाहिक घर जाने और मृतिका, जब तक वह जीवित थी, बात करने और अपना बयान देने की स्थिति में होने के संबंध में साक्ष्य सुसंगत नहीं हैं। हम पहले ही पी.डब्लू.-1 के कथन का उल्लेख कर चुके हैं कि अपनी बहन को उसके सास-ससुर और पति द्वारा जला दिए जाने की सूचना मिलने पर वह मृतिका के वैवाहिक घर नहीं गया, बल्कि सीधे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस कर्मियों को पी.ओ. अर्थात मृतिका के वैवाहिक घर ले आया।

33. यह दो बातों पर सवाल खड़ा करता है। अन्यथा पुलिस अधिकारी पीडब्लू-1 का बयान दर्ज किए बिना पीओ के पास नहीं जाते। वैसे भी, अवर निरीक्षक इंद्रजीत कुमार (पी.डब्लू.-6) के बयान से पता चलता है कि सुबह-सुबह पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन पर सूचना आ गई थी, जिसे स्टेशन डायरी में भी दर्ज किया गया था। यह अजीब लगता है कि पीड़िता के भाई के पूछने पर और कोई विस्तृत बयान दर्ज किए बिना, पुलिस मृतिका के वैवाहिक घर चली गई।

34. इस मामले में एक और पहलू भी है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर पीड़िता होश में होती तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले उसका बयान वहीं दर्ज करवाना सबसे बेहतर कदम होता। वाहन की व्यवस्था करने में कुछ समय बीत गया।

35. इन सब बातों से संदेह पैदा होता है कि क्या पुलिस ही पीड़िता को अस्पताल लेकर आई थी या फिर उसे किसी अन्य परिस्थिति में अस्पताल लाया गया था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल के रिकॉर्ड में उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है जो पीड़िता को लेकर आया था। सामान्य प्रक्रिया यह है कि अस्पताल के दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया जाता है।

36. यह मानते हुए कि पुलिस पार्टी पीड़ित को लेकर आई थी, आगे कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं थी; लेकिन फिर, गवाहों के झूठे बयान और परिस्थितियाँ संकेत देती हैं कि ट्रायल कोर्ट से कुछ छिपाया गया है। अवर निरीक्षक इंद्रजीत कुमार को पता था कि एसडीपीओ ने मृतिका के बड़े बेटे का बयान दर्ज किया है, फिर भी उन्होंने इसे केस डायरी में शामिल नहीं किया; बल्कि एसडीपीओ ने केस डायरी के पैराग्राफ नंबर 27 के पीछे इस तरह के बयान को दर्ज करने दिया। पीड़ित के बेटे का बयान दर्ज न करने के बारे में पी.डब्लू.-6 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके अलावा, हमें यह भी अजीब लगा कि अभियोजन पक्ष की ओर से उसे गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया।

37. डीडब्ल्यू-1 के रूप में सोनू कुमार ने बताया कि जब उसकी माँ चावल छान रही थी, तो आग लग गई। वह तुरंत अपने पिता को दुकान से बुलाने के लिए दौड़ा, जो दौड़कर घर आए और आग बुझाने की कोशिश की।

38. यह जांचकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक था जिसे उसने पुलिस दस्तावेजों में दर्ज किया था।

39. उन्होंने स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि पीड़िता को जानबूझकर और जबरन आग लगाई गई थी। इन सभी बातों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने मृत्युकालीन कथन देने का मामला बनाने की कोशिश की, जो कि जांचकर्ता के लिए मामले को खोलने और बंद करने का सबसे आसान और सरल काम होता।

40. हालांकि विचारण न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि चूंकि मृतिका की मौत चार दिनों के उपचार के बाद हुई थी, इसलिए उसे मृत्यु की आशंका नहीं थी और इसलिए, उसके *फर्दबयान* को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) के तहत स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यह तर्क निश्चित रूप से गलत आधार पर आधारित है।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) को पूर्णता और त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

> "**32 (1) जब वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो -** जब कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसे मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो जाता है।
>
> ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उन्हें देने वाला व्यक्ति, उस समय जब वे कहे गए थे, मृत्यु की आशंका में था या नहीं था, और कार्यवाही की प्रकृति चाहे जो भी हो, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है। "

42. भज्जू उर्फ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 317 में, यह निम्नानुसार माना गया है:-

> "**25.** अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के तहत मृत्युकालीन कथन के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर है। अंग्रेजी कानून के तहत, मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता तभी है जब ऐसा कथन देने वाला व्यक्ति निराशाजनक स्थिति में हो और उसे आसन्न मृत्यु की आशंका हो। अतः अंग्रेजी कानून के तहत, इसकी स्वीकार्यता के लिए, घोषणा तब की जानी चाहिए थी जब मृत्यु का वास्तविक खतरा हो और घोषणाकर्ता को इस बात की पूरी आशंका होनी चाहिए थी कि

उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालाँकि, भारतीय कानून के तहत, मृत्युकालीन कथन प्रासंगिक है, चाहे इसे देने वाले व्यक्ति को ऐसी घोषणा के समय मृत्यु की आशंका थी या नहीं। मृत्युकालीन कथन न केवल हत्या के मामले में बल्कि सिविल मुकदमों में भी स्वीकार्य है। मृत्युकालीन कथन की स्वीकार्यता निमो मोरिटुरस प्रीसुमिटुर मेंटायर (कोई व्यक्ति अपने मुंह में झूठ लेकर अपने ईश्वर से नहीं मिल सकता) के सिद्धांत पर निर्भर करती है।

26. कानून में यह बात अच्छी तरह स्थापित है कि मृत्युकालीन कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और स्वीकार्यता आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। मृत्युकालीन कथन, यदि विश्वसनीय पाया जाता है, तो दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। तथ्यों की न्यायालय को दोषसिद्धि के लिए अपुष्ट मृत्युकालीन कथन पर कार्रवाई करने से बाहर नहीं रखा गया है। साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन कथन, किसी भी अन्य साक्ष्य के समान ही है। इसका मूल्यांकन और सराहना आस-पास की परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाना चाहिए और साक्ष्य के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के संदर्भ में इसका महत्व निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में किसी विशेष मृत्युकालीन कथन में कोई कमी है, या तो स्वयं की या मामले में प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों या उसके संज्ञान में आने वाली परिस्थितियों से प्रकट हुई है, तो न्यायालय विवेक के नियम के रूप में पुष्टि की अपेक्षा कर सकता है और यदि कमियां ऐसी हैं कि मृत्युकालीन कथन इतना कमज़ोर हो जाए कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को चुभ जाए, तो उसे दोषसिद्धि के आधार के रूप में स्वीकार करने से इंकार किया जा सकता है।

27. एक अन्य विचार जो न्यायालय के समक्ष, निश्चित रूप से किसी मामले के तथ्यों के संदर्भ में, आ सकता है, वह यह है कि क्या मृत्युकालीन कथन विश्वास उत्पन्न करने

में सक्षम है या नहीं, क्या यह विश्वसनीय है या यह केवल जांच की कमियों को छिपाने का एक प्रयास है। इससे न्यायालय को यह संतुष्टि मिलनी चाहिए कि अविश्वास के बजाय उस पर भरोसा किया जाना चाहिए।

29. जयश्री अनंत खांडेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2009) 11 एससीसी 647: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 116] में, "मृत्युकालीन कथन" के संबंध में अमेरिकी कानून की रूपरेखा और भारतीय कानून पर इसकी प्रयोज्यता पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना: (एससीसी पृष्ठ 654, पैरा 24-25)

"24. किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में मानवीय चरित्र की अंतर्निहित सत्यता में निहित विश्वास के अलावा, मृत्युकालीन कथन की स्वीकार्यता भी आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। कई मामलों में पीड़ित अपने ऊपर हुए अपराध का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी होता है और ऐसी स्थितियों में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर मृत्युकालीन कथन को बाहर करना न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

25. मृत्युकालीन कथन पर अमेरिकी कानून भी दो सिद्धांतों पर आधारित है - मृत्यु की निश्चितता, जो मानव चरित्र की सत्यता में अंतर्निहित विश्वास और अनिवार्यता के सिद्धांत को जन्म देती है। मृत्यु की निश्चितता पर, अमेरिकी न्यायशास्त्र में अंग्रेजी कानून का वही सख्त परीक्षण लागू किया गया है। परीक्षण को विभिन्न रूप से 'ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं', 'मृत्यु की निश्चित उम्मीद' के रूप में व्यक्त किया गया है। मूल अवधारणा यह है कि मृत्यु की आशा पूर्ण होनी चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए तथा इसमें सांसारिक उद्देश्यों के सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए।
"

30. मुथु कुट्टी बनाम राज्य [(2005) 9 एससीसी 113: 2005 एससीसी (क्रि) 1202] में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लेना भी कुछ मददगार होगा, जहां न्यायालय ने पैरा 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया था: (एससीसी पृ. 120-21)

"15. यद्यपि मृत्युकालीन कथन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभियुक्त के पास जिरह करने का कोई अधिकार नहीं है। सत्य को उजागर करने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है, क्योंकि शपथ लेना एक दायित्व हो सकता है। यही कारण है कि न्यायालय इस बात पर भी जोर देता है कि मृत्युकालीन कथन इस प्रकार का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो। न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना होगा कि मृतक का बयान किसी के द्वारा सिखाए जाने, उकसाने या कल्पना की उपज के परिणामस्वरूप नहीं था। न्यायालय को यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि हमलावर को देखने और उसकी पहचान करने का स्पष्ट अवसर मिलने के बाद मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी। एक बार जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि घोषणा सत्य और स्वैच्छिक थी, तो निस्संदेह, वह बिना किसी अन्य पुष्टि के अपने दोषसिद्धि को आधार बना सकता है। यह कानून का पूर्ण नियम नहीं माना जा सकता कि मृत्युकालीन कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए। जिस नियम के लिए पुष्टिकरण की आवश्यकता है वह केवल विवेक का नियम है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मृत्युकालीन कथन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है, जैसा कि पानीबेन बनाम गुजरात राज्य [(1992) 2 एससीसी 474: 1992 एससीसी (क्रि) 403: एआईआर 1992 एससी 1817] (एससीसी पृ. 480-81, पैरा 18) में दर्शाया गया है।

‘(i) न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्युकालीन कथन पर पुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। (मुन्नू राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1976) 3 एससीसी 104 : 1976 एससीसी (क्रि) 376] देखें)

(ii) यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि मृत्युकालीन कथन सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह बिना किसी पुष्टि के, इसके आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव [(1985) 1 एससीसी 552: 1985 एससीसी (क्रि) 127] और रमावती देवी बनाम बिहार राज्य [(1983) 1 एससीसी 211: 1983 एससीसी (क्रि) 169] देखें)

(iii) न्यायालय को मृत्युकालीन कथन की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कथन किसी के द्वारा सिखाए जाने, प्रेरित किए जाने या कल्पना का परिणाम न हो। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला था तथा वह कथन करने के लिए उपयुक्त अवस्था में था। (के. रामचंद्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक [(1976) 3 एससीसी 618 : 1976 एससीसी (क्रि) 473] देखें)

(iv) जहां मृत्युकालीन कथन संदिग्ध हो, वहां पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। (रशीद बेग बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1974) 4 एससीसी 264 : 1974 एससीसी (क्रि) 426] देखें)

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी कोई मृत्युकालीन कथन नहीं दे सका, वहां उससे संबंधित साक्ष्य को खारिज किया जाना चाहिए। (काके सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1981 सप एससीसी 25: 1981 एससीसी (क्रि) 645] देखें)

(vi) मृत्युकालीन कथन, जिसमें शारीरिक अशक्तता हो, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। (राम मनोरथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1981) 2 एससीसी 654 : 1981 एससीसी (क्रि) 581] देखें)

(vii) केवल इसलिए कि मृत्युकालीन कथन में घटना के बारे में विवरण नहीं है, उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। (महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू [1980 सप एससीसी 455: 1981 एससीसी (क्रि) 364] देखें)

(viii) इसी तरह, सिर्फ़ इसलिए कि यह एक संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, बयान का संक्षिप्त होना ही सत्य की गारंटी देता है। (सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य [1980 सप एससीसी 769: 1979 एससीसी (क्रि) 519] देखें)

(ix) आम तौर पर न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं, चिकित्सा राय पर विचार करता है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था, वहां चिकित्सा राय मान्य नहीं हो सकती। (नन्हाऊ राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1988 सप एससीसी 152 : 1988 एससीसी (क्रि) 342] देखें)

(x) जहां अभियोजन पक्ष का कथन मृत्युकालीन कथन में दिए गए कथन से भिन्न है, वहां उक्त कथन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। (देखें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मदन मोहन [(1989) 3 एससीसी 390 : 1989 एससीसी (क्रि) 585]।)

(xi) जहां मृत्युकालीन कथन की प्रकृति में एक से अधिक कथन हैं, वहां समय के दृष्टिकोण से पहले कथन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेशक, अगर मृत्युकालीन कथन की बहुलता को विश्वसनीय और भरोसेमंद माना जा सकता है, तो इसे स्वीकार

किया जाना चाहिए। (मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1982) 1 एससीसी 700: 1982 एससीसी (क्रि) 334] देखें)'"

43. वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी आपत्ति के बिना स्वीकार किया गया कि 100 प्रतिशत जलने की चोटें थीं; मृतिका के जीवित रहते हुए उसके वैवाहिक घर पर उसका कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था और पीडब्लू-1 के सीधे पुलिस स्टेशन जाने और अपने साथ मेहदिया पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों को पी.ओ. में लाने के बारे में कुछ संदेह है तथा साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की राय भी है, हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां डॉक्टर (पीडब्लू 4) का प्रमाणीकरण और पीड़िता/मृतिका का *फर्दबयान* दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी (पीडब्लू-4) की उपस्थिति भी सत्य प्रतीत नहीं होती है, जिससे हम *फर्दबयान* को मृत्युकालीन कथन के रूप में स्वीकार कर सकें, जो कि पीड़िता/मृतिका द्वारा दिया गया था।

44. इसके अलावा, एफआईआर भेजने में देरी (सीजेएम ने 17.05.2014 को इसका समर्थन किया) और शाम को पीडब्लू-6 द्वारा पीओ से मिलने पर कोई भी जली हुई वस्तु बरामद न होना भी मामले को और उलझा देता है।

45. हमने यह भी ध्यान में रखा है कि अभियोजन पक्ष का मामला साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई है।

46. बिन्देश्वर पंडित और जानकी देवी उर्फ सुगिया देवी (पीडब्लू 2 और 3), जो मृतिका के माता-पिता हैं, ने भी पीडब्लू-1 जैसी ही कहानी सुनाई है।

47. डॉ. विजय प्रताप सिंह (डी.डब्लू.-2) ने भी एक खुलासा किया है, जिसे यदि स्वीकार कर लिया जाए तो पी.डब्लू.-4 के बयान को गलत साबित करता है, अर्थात डॉक्टर जिसने यह साबित किया था कि पीड़िता/मृतिका बयान देने की स्थिति में थी। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा

कि उन्होंने ही मरीज को पीएमसीएच रेफर किया था, क्योंकि वह गंभीर रूप से जल चुकी थी। वह यह भी बताने की स्थिति में नहीं थे कि उस समय पीड़िता बोल सकती थी या नहीं। यहां तक कि 2 लाख रुपए मांगे जाने की तथ्य भी गवाहों द्वारा सामान रूप से नहीं बताया गया है। इसलिए, इससे यह संदेह पैदा होता है कि *फर्दबयान* में हेराफेरी की गई थी।

48. अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी पाए जाने का सम्पूर्ण आधार हो जाता है।

49. पी.डब्लू.-4 का बयान ट्रायल से पहले कभी दर्ज नहीं किया गया।

50. सिरों को जोड़ने के लिए:

(i) एफआईआर भेजने में देरी

(ii) स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना, अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सोनू कुमार को पेश न करना

(iii) मृतिका के 100 प्रतिशत जलने की चोटें होने तथा पी.डब्लू.-4 और पी.डब्लू.-6 द्वारा पीड़िता/मृतिका के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अनावश्यक जोर देने से अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है या कम से कम अपीलकर्ताओं का निहितार्थ संदेह से परे नहीं रह जाता है।

51. हम यहां यह भी दोहराना चाहते हैं कि जांच के बाद पुलिस को अपीलकर्ता सं. 2 के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अपीलकर्ता सं. 1 के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 306 का आरोप लगाया गया था।

52. हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अपीलकर्ता सं. 2 फरार हो गई थी और इसलिए, ट्रायल को अलग करना पड़ा। हालाँकि, दोनों अपीलकर्ताओं के ट्रायल में, एक ही गवाहों की

जाँच की गई थी और इसलिए, विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर एक संयुक्त निर्णय पारित किया।

53. उपरोक्त कारणों से, जिससे हमें अभियोजन पक्ष के इस दावे की सत्यता पर संदेह हुआ है कि फर्दबयान में हेरफेर नहीं किया गया था, हमारे पास अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि धारा 498-ए के तहत अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं किया जा सका और आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि मुख्य रूप से मृत्युकालीन कथन पर आधारित है, जिसे संदिग्ध पाया गया है।

54. अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है।

55. अपीलकर्ताओं को आरोप से बरी किया जाता है।

56. चूंकि दोनों अपीलकर्ता जेल में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित या हिरासत में नहीं हैं।

57. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन एवं अभिलेख हेतु संबंधित जेल के अधीक्षक को तत्काल भेजी जाए।

58. इस मामले के अभिलेख तत्काल विचारण न्यायालय को लौटा दिए जाएं।

59. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटान किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(जीतेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

राजेश/सौरव

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।